आईटीबीपी से सेवानिवृत्त उप निरीक्षक मोहन का निधन

निरमंड (कुल्लू)। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) से सेवानिवृत्त उप निरीक्षक मोहन लाल शर्मा (69) के आकस्मिक निधन से निरमंड क्षेत्र में शोक की लहर है।

जानकारी के अनुसार, मोहन लाल शर्मा अचानक पैर फिसलने से चोटिल हो गए थे। उन्हें महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी (रामपुर बुशहर) में प्राथमिक उपचार देने के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मंगलवार को उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र त्रिवेन शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी।

सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को स्थानीय लोग याद कर रहे हैं। इस दौरान महानिदेशक, गृह मंत्रालय एवं आईटीबीपी की 23वीं वाहिनी बोंडा सराहन की ओर से उप निरीक्षक देव कुमार, एएसआई ज्ञान चंद, मुख्य आरक्षी नीतीश कुमार और मुख्य आरक्षी कृष्ण कुमार ने श्मशानघाट पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संवाद

हरिपुर कॉलेज में कॅरिअर पर जागरूक किए विद्यार्थी

हरिपुर (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर में मंगलवार को युवाओं के लिए कॅरिअर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

अभियान का उद्देश्य युवाओं को कॅरिअर चयन, रोजगार के अवसरों और भविष्य की संभावनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध करियर विकल्पों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अपनी रुचि, योग्यता और कौशल के अनुसार सही क्षेत्र का चयन करना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

युवाओं को कॅरिअर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने भी कॅरिअर से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं रखीं। संवाद

दि कांगड़ा सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक सीमित

शाखा कार्यालय : अखाड़ा बाजार कुल्लू जिला कुल्लू (हि.प्र.) फोन नं.- 01902-259401

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

ईएमडी एवं दस्तावेजों की हार्ड प्रति एवं ऑनलाईन एनईएफटी/आरटीजीएस के जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय : 25.11.2026 को अप. 16:00 बजे तक

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 एवं 9 के साथ पठित नियम 6(2) एवं 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता एवं ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिसका दि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ले लिया है से निम्न निर्दिष्ट अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटरों से **दि कांगड़ा सेंट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक सीमित** को देय राशि (निम्न निर्दिष्ट) की वसूली हेतु निम्न निर्दिष्ट तिथियों पर 'जैसे है जहां है' 'जैसे है जो है' 'जो भी वहा है' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित कीमत, धरोहर राशि जमा प्रत्येक संपत्ति के प्रति निर्दिष्ट अनुसार राशि होगी। बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया **(https://www.bankeauctions.com)** में प्रावधानित लिंक को देखें।

खाते का नाम	अचल सम्पति के विवरण	कब्जे का प्रकार	बकाया राशि एवं कब्जा सूचना की तिथि	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय
श्री करम चंद पुत्र श्री लोट राम, वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला, कुल्लू (हि.प्र.) एवं गारंटर(रों) 1.	वर्ष 2016-2017 हेतु जमाबंदी में दर्ज मुहल एवं फाटी डुघीलाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि.प्र.) में स्थित खाता एवं खतौनी सं. 123/181 में दर्ज खसरा सं. 59 के तहत शामिल कुल भूमि माप 0-04-47 हैक्टे. में से 1/4 भाग के तौर पर 0-01-12 हैक्ट. माप की भूमि। उसपर निर्मित सभी स्ट्रक्चर/सुपर स्ट्रक्चर सहित।	**भौतिक कब्जा**	Rs. 15,50,200/- के साथ सहमति दर पर 24.04.2025 से भावी ब्याज एवं अन्य खर्चे एवं लागू प्रभार **कब्जा तिथि - 21.04.2026**	**Rs. 16,96,500/-** / **Rs. 1,69,650/-** / **Rs. 10,000/-**	**26.11.2026,** 11:00 बजे से 12:00 बजे
श्री लोट राम पुत्र श्री सेस राम, वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि.प्र.) **2. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री लोट राम,** वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि.प्र.)					
श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री लोट राम, वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला, कुल्लू (हि.प्र.) एवं गारंटर (ओं) 1.	वर्ष 2012-2013 हेतु जमाबंदी में दर्ज मुहल एवं फाटी डुघीलाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि.प्र.) में स्थित खाता एवं खतौनी सं. 123/181 में दर्ज खसरा सं. 59 के तहत शामिल कुल भूमि माप 0-04-47 हैक्टे. में से 1/4 भाग के तौर पर 0-01-12 हैक्ट. माप की भूमि। उसपर निर्मित सभी स्ट्रक्चर/सुपर स्ट्रक्चर सहित।	**भौतिक कब्जा**	Rs. 16,95,567/- के साथ सहमति दर पर 24.04.2025 से भावी ब्याज एवं अन्य खर्चे एवं लागू प्रभार **कब्जा तिथि - 21.04.2026**	**Rs. 30,06,000/-** / **Rs. 3,00,600/-** / **Rs. 10,000/-**	**26.11.2026,** 11:00 बजे से 12:00 बजे
श्री फतेह चंद पुत्र श्री केहर चंद वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला, कुल्लू (हि.प्र.) 2. श्री कर्म चंद पुत्र श्री लोट राम वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला, कुल्लू (हि.प्र.) 3. श्री लोट राम पुत्र श्री सेस राम वीपीओ डुघीलाग, तहसील व जिला, कुल्लू (हि.प्र.)					

नियम एवं शर्तें: ई-नीलामी **'जैसे है जहां है' एवं 'जैसे है जो है'** के आधार पर आयोजित की जा रही है। 1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करना और खुद को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।3. इच्छुक बोलीदाता लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपनी ईएमडी वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com **(उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाता संख्या: 50056117795, खाते का नाम: बीसी ए/सी केसीसीबी कुल्लू आईएफएससी कोड : KACE0000006 में देय होगी।** कृपया ध्यान दें कि **बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट हार्ड कॉपी के साथ 25.11.2026 को शाम 16:00 बजे** से पहले **अखाड़ा बाजार कुल्लू शाखा** में जमा किया जाना चाहिए। 4. वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करवानी आवश्यक है जैसे कि i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति; ii) पैन कार्ड की प्रति; iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व-सत्यापित प्रति। iv) पते के प्रमाण की प्रति; इसके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है। अनुलग्नक- II और III (निविदा सूचना में उल्लिखित) की स्कैन की गई प्रति विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद अपलोड करना 5. इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिल्डिंग नंबर 301, पहली मंजिल, उद्योग विहार फेज-2, गुड़गांव (हरियाणा)-122015, फोन: 0124-4302000/2021/2022/2023/2024, वेब: www.c1india.com,** और **श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नंबर +91-7080804466, हेल्प लाइन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com & delhi@c1india.com** और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए **श्रीमती रजनी सूद, (प्राधिकृत अधिकारी) मोबाइल नंबर 9418104307, ई-मेल आईडी: zokullu@kccbhp.bank.in** पर कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। 6. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड एवं ईएमडी का पुष्टी भुगतान करने वाला खरीददार ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होगा। 7. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने **25.11.2026 को शाम 16:00 बजे से पहले ऑनलाइन मोड** के माध्यम से आरक्षित मूल्य से कम नहीं अपनी ईएमडी जमा की है, वे ई-बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। उपरोक्त संपत्ति की ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली के माध्यम से उक्त संपत्ति के सामने उल्लिखित निर्धारित तिथि और समय पर ही आयोजित की जाएगी। बोलीदाता उक्त संपत्ति के खिलाफ "बोली वृद्धि राशि" कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करेगा। यदि बोली ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के अधीन)। ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर सबसे अधिक बोली राशि जमा करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और इस आशय का एक संचार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। 8. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री के आंशिक प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य का 25% (24 घंटे के भीतर) प्राधिकृत अधिकारी को बोली मूल्य स्वीकार करने के बाद जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो कि 3 माह से अधिक ना हो, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता (बैंक) द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई हो और जो पूरी तरह से उसके विवेक पर हो। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता/ ऋणकर्ता के पास संपत्ति/शेष के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। 9. संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख से पहले **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। न तो अधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही **मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** किसी भी इंटरनेट नेटवर्क की समस्या के लिए उत्तरदायी होंगे और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। 10. क्रेता लागू स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और किसी को भी देय सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि वहन करेगा। 11. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। 12. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों को पढ़ें। 13. प्रकाशन लागू मुख्य क्लाउड के अधीन है। **14. विशेष निर्देश : बोलीदाताओं को अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए** न तो **दि कांगड़ा सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड** और न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें **और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता/गारंटर को ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक : 03.11.2026 **स्थान: कुल्लू** **प्राधिकृत अधिकारी**

कार्तिक अध्यक्ष और प्रवीण को बनाया इकाई मंत्री

केलांग (लाहौल-स्पीति)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की कुकुमसेरी महाविद्यालय इकाई की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह गठन महाविद्यालय परिसर में हुआ, जिसमें विभाग संगठन मंत्री सचिन सपटा उपस्थित रहे।

चुनाव अधिकारी नविंद्र शर्मा ने कार्तिक को इकाई अध्यक्ष और प्रवीण को इकाई मंत्री घोषित किया। नवनियुक्त अध्यक्ष कार्तिक ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। इसमें लक्ष्मी देवी, सुशांत, साहिल और कृष्णा को इकाई उपाध्यक्ष बनाया गया।

गरिमा, हिमानी, कार्तिक और प्रियंका को सह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। नरेश को सोशल मीडिया संयोजक और आशा को मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया। रिशिका को राष्ट्रीय कला मंच संयोजक, संजना को एसएफडी संयोजक, कोमल को एसएफएस संयोजक तथा मानवजीत मंगल को आरटीआई संयोजक बनाया गया। संवाद

IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE (DISTRICT JUDGE) FAMILY COURT CHAMBA, DIVISION CHAMBA H.P.

In re :-

Guardian & Wards Act No. 15/2026
Next date of Hearing:- 03.12.2026

Jhuno W/o Roopa R/o Village Unha, Post Office Darwin, Sub Tehsil Dharwala, District Chamba (HP) aged 56 years.

Applicant

-Versus-

General Public

Respondent

Notice To: General Public (Respondent)

Application under section 7 of Guardian & Wards Act for appointment of guardian of person and property of minors namely master Mitansh aged 4 years and Baby Kirti aged 5 years.

WHEREAS in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that above named respondent(s) cannot be served in ordinary way. Hence the proclamation under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against him/them with direction to appear before this Court in person or through Advocate or pleader on 03.12.2026 (at 10 AM) failing which ex-parte proceedings shall be initiated against him/them.

Given under my hand and the seal of this Court on this 31st day of October, 2026.

Principal Judge (District Judge)
Family Court Chamba H.P.